बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :–3/अ0प्र0–1–502/2011 06 /पटना, दिनांक :– 22-1-24

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत ओरलाहा पंचायत में मनरेगा योजनाओं का तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा किये गये जॉच से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की प्रति जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 448 दिनांक 22.02.2012 द्वारा इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री रामाकान्त पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, प्रखंड–बी० कोठी, जिला–पूर्णियाँ के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 700 अनु0 दिनांक 10.04.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री पाण्डेय के पत्रांक शून्य दिनांक 02.05.2017 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। तद्‌लोक में कार्यालय आदेश संख्या–392 सह–पठित ज्ञापांक–3634 अनु0 दिनांक 18.12.2017 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री पाण्डेय के दिनांक 31.12.2022 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश संख्या–2520 दिनांक 27.11.2023 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी (अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन) के पत्रांक 12 अनु0 दिनांक 10.01.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

5. श्री पाण्डेय के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–(i) यथा परिवाद के बाद अनियमितता छिपाने के लिए ट्रैक्टर द्वारा नियमों के विपरीत मिट्टी की भराई की गई यद्यपि इन योजनाओं की मापी दर्शाते हुए अंतिम रूप से अभिकर्त्ता द्वारा भुगतान प्राप्त कर लिया गया था, के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साक्ष्य स्वरूप निगरानी विभाग का जॉच प्रतिवेदन संलग्न है। जॉच प्रतिवेदन की कंडिका 5.00 में अंकित निष्कर्ष में वर्णित है कि स्थल निरीक्षण के दौरान दो वर्ष बाद मिट्टी भराई का सत्यापन नहीं किया जा सका। मिट्टी की भराई/ढुलाई ट्रैक्टर द्वारा किये जाने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य संलग्न नहीं है, जिसमें कि यह आरोप प्रमाणित हो सके। इस आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध इस आरोप को अप्रमाणित माना गया।

श्री पाण्डेय के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–(ii) यथा योजना संख्या–14/07–08 से योजना संख्या–18/07–08 कुल 05 योजनाओं के लिए एक ही चेक संख्या–414319 दिनांक 16.06.2008 से प्रथम अग्रिम का भुगतान किये जाने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि पंचायत स्तर की योजनाओं में चेक काटने का अधिकार मुखिया और पंचायत सेवक का होता है। इस योजना में अभिकर्त्ता के रूप में पंचायत की एक महिला शिक्षिका श्रीमती नूतन कुमारी थी। आरोपित कनीय अभियंता को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम राशि के लिए चेक निर्गत किये जाने में कोई भूमिका नहीं थी। इस परिप्रेक्ष्य में

संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पाण्डेय के बचाव बयान से सहमत होते हुए इस आरोप को अप्रमाणित माना गया।

श्री पाण्डेय के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–(iii) यथा कार्यों की मापी मनरेगा मार्गदर्शिका के तहत साप्ताहिक एवं पाक्षिक निर्धारित है परन्तु इस प्रकार का कोई मापी पुस्तिका संधारित नहीं होने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि आरोप पत्र के साथ साक्ष्य स्वरूप किसी भी मजदूर का कोई परिवाद पत्र संलग्न नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उनके पारिश्रमिक के भुगतान में विलंब किया गया है। आरोपित कनीय अभियंता, श्री पाण्डेय ने अपने बचाव बयान के साथ सभी संबंधित बारह योजनाओं के मापीपुस्तिका की छायाप्रति को संलग्न किया है, जो सहायक अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित है। इस आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध इस आरोप को अप्रमाणित माना गया।

6. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित उक्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होने का निर्णय लिया गया है।

7. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री रामाकान्त पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, प्रखंड–बी० कोठी, जिला–पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–502/2011 177 /पटना, दिनांक :– 22.1.24

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं एवं श्री रामाकान्त पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, प्रखंड–बी० कोठी, जिला–पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता :– ग्राम–पीड़रा, पोस्ट–मीरगंज, थाना–बड़कागाँव, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव